11/7/25 पत्रा० पेश हुई। वकु० उप०। अप्रार्थी सं. 1, 5, 6 की एडी लौटकर नहीं आयी। एक माह का समय व्यतीत हो चुका है अतः इनकी तलबी पूर्ण मानी जाती है एवं नियमानुसार इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। मूल वाद में P.D. जारी करने बावत उभयपक्ष वकील द्वारा सहमति दी गई। प्रतिवादी वकील द्वारा जवाब न देकर सीधे बहस करने हेतु निवेदन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वकु० द्वारा उभयपक्षकारान को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक पाबंद करने का निवेदन किया गया। बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दावा 53 का है। एवं उभयपक्षकारान वकील द्वारा मूल वाद में P.D जारी करने बावत सहमति भी प्रदान की जा चुकी है। एवं प्रा० पत्र 212 में उभयपक्ष वकील द्वारा उभयपक्षकारान को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक पाबंद करने हेतु अपनी सहमति आदेशिका पर भी दी गई है।

अतः मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक उभयपक्षकारान को मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु एवं विवादित आराजीयात पर नवीन निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। एवं मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।